

मध्य प्रदेश स्पेशल एण्ड रेसीडेंसियल एकेडमिक सोसायटी (MPSARAS)

सतपुड़ा भवन, द्वितीय तल भोपाल

दूरभाष : 0755-2576864 Email - emrs.ctd@mp.gov.in

क्रमांक/MPSARAS / 32 /2020/260

भोपाल, दिनांक 12.02.2020

प्रति,

समस्त प्राचार्य,

विशिष्ट आवासीय विद्यालय,

मध्यप्रदेश

विषय:- आगामी शैक्षणिक सत्र 2020-21 से विशिष्ट आवासीय विद्यालयों में C.B.S.E. से सम्बद्धता (एफिलियेशन) विषयक।

विषयांतर्गत लेखा हैं, कि मध्य प्रदेश स्पेशल एण्ड रेसीडेंसियल एकेडमिक सोसायटी (MPSARAS) अंतर्गत संचालित 123 विशिष्ट आवासीय विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता हेतु C.B.S.E. पाठ्यक्रम संचालित किया जाना है। विशिष्ट आवासीय विद्यालयों के प्राचार्य आगामी शैक्षणिक सत्र 2020-21 से C.B.S.E. पाठ्यक्रम अंतर्गत अध्ययन-अध्यापन कराये जाने की प्रक्रिया अंतर्गत C.B.S.E. से सम्बद्धता (एफिलियेशन) की कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें। किसी भी कठिनाई की स्थिति में सहायक संचालक से मोबाईल क्रं 9425029223 पर सम्पर्क करें।

उपत प्रकरण में की गई कार्यवाही से ई-मेल emrs.ctd@mp.gov.in एवं shiksha.ctd@mp.gov.in पर अवगत कराये।

(दीपाली रस्तोगी)

आयुक्त

आवासीय विकास

मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 12.02.2020

पृ. क्रमांक/MPSARAS / 32 /2020/261

प्रतिलिपि:-

1. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।

आयुक्त

आवासीय विकास

मध्यप्रदेश

Principal,
Shiksha Pansar
Dehi Distt. Betul

मध्य प्रदेश शासन
आदिम जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक/एफ-03-01/2015/25-2/ 117
प्रति,

भोपाल, दिनांक 18/02/2020

आयुक्त,
आदिवासी विकास,
मध्य प्रदेश।

विषय :- विभागीय 123 विशिष्ट आवासीय विद्यालयों का संचालन मध्य प्रदेश स्पेशल एण्ड रेसीडेंसियल एकेडमिक सोसायटी (MPSARAS) को सौंपने बाबत।

- संदर्भ :- 1. आयुक्त आदिवासी विकास मध्य प्रदेश के पत्र क्रमांक/आदर्श/शाला/2/92-93/304/14686 भोपाल दिनांक 11.05.1992
2. मध्य प्रदेश शासन आदिम जाति कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक एफ-12-21/2016/2-25/1319 दिनांक 16.09.2016
3. मध्य प्रदेश शासन आदिम जाति कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक एफ-03-03/2013/2-25/15 दिनांक 04.01.2017

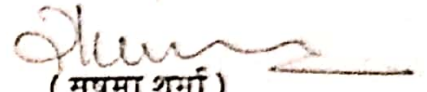
—o—

मध्य प्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक/एफ-03-01/2015 /25-2/964 दिनांक 28.12.2019 द्वारा विभागीय 123 विशिष्ट आवासीय विद्यालयों का संचालन मध्य प्रदेश स्पेशल एण्ड रेसीडेंसियल एकेडमिक सोसायटी (MPSARAS) को सौंपने की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इन 123 विद्यालयों में से 69 कन्या शिक्षा परिसर एवं 08 आदर्श आवासीय विद्यालय तथा 04 संभागीय गुरुकुल आदर्श आवासीय (परिवर्तित एकलव्य विद्यालय) विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2020-21 में प्रवेश हेतु निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

1. शासन पत्र क्रमांक एफ-3-3/2013/25-2/15 भोपाल दिनांक 04.01.2017 एवं आयुक्त, आदिवासी विकास मध्य प्रदेश के पत्र क्रमांक /आदर्श/शिक्षा शाला/2/92-93/304/14686 भोपाल दिनांक 11.05.1992 द्वारा कन्या शिक्षा परिसरों एवं आदर्श आवासीय विद्यालयों में प्रवेश के संबंध में निहित प्रावधानों में संशोधन करते हुए वर्ष 2020-21 से मध्य प्रदेश स्पेशल एण्ड रेसीडेंसियल एकेडमिक सोसायटी (MPSARAS) अंतर्गत संचालित समस्त 123 विशिष्ट विद्यालयों (कन्या शिक्षा परिसरों, आदर्श आवासीय विद्यालय, गुरुकुलम विद्यालय, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय) में 100 प्रतिशत आदिवासी विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जावे।

2. मध्य प्रदेश शासन पत्र क्रमांक एफ-12-21/2016/2-25/1319 दिनांक 16.09.2016 द्वारा स्वीकृत 04 संभागीय गुरुकुलम आवासीय विद्यालय स्वीकृत करते हुए इनमें 80 विद्यार्थियों के प्रत्येक सेक्शन में 40 हिन्दी एवं 40 अंग्रेजी माध्यम के सेक्शन संचालित करने का प्रावधान है। वर्ष 2020-21 में संभागीय गुरुकुलम विद्यालय (परिवर्तित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय) भोपाल एवं इन्दौर में 80 विद्यार्थियों का अंग्रेजी माध्यम का एक ही सेक्शन संचालित किया जावे एवं जबलपुर तथा शहडोल गुरुकुलम (एकलव्य) विद्यालयों में कक्षा 6वीं में 40-40 के 2 सेक्शन में हिन्दी एवं अंग्रेजी में यथावत प्रवेश दिया जाये।

उक्त प्रावधाने अनुसार वर्ष 2020-21 में विशिष्ट विद्यालयों में प्रवेश की कार्यवाही मुनिश्रित की जावे।


(मुष्मा शर्मा)

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

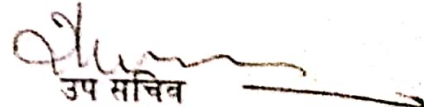
आदिम जाति कल्याण विभाग

भोपाल, दिनांक 18/02/2020

पृ० क्र०/एफ- 03-01/2015/25-2/118

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय मंत्रालय।
 2. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, आदिम जाति कल्याण विभाग।
 3. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग।
 4. समस्त कलेक्टरेट्स, मध्यप्रदेश।
 5. समस्त संभागीय उप आयुक्त, आदिवासी तथा अनुसूचित जाति विकास मध्यप्रदेश।
 6. समस्त सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास मध्य प्रदेश।
 7. समस्त जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग मध्यप्रदेश।
 8. समस्त प्राचार्य, कन्या शिक्षा परिसर, आदर्श आवासीय विद्यालय, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय मध्य प्रदेश।
 9. कम्प्यूटर शाखा प्रभारी, कार्यालय आयुक्त, आदिवासी विकास म० प्र० की ओर विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
 10. गार्ड फाईल।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

आदिम जाति कल्याण विभाग

Principal
Va Shikcha Pansar
hi Distt. Betul